Regarding need to include tribal people of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu in the Fifth and Sixth Schedules to the Constitution-Laid

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) : मै दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव जैसे आदिवासी बाहुल्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती हूँ । दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव आदिवासी बाहुल्य प्रदेश होने से वहां के आदिवासी समुदाय के कई परिवारों को मूलभूत सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं । जब मेरा प्रदेश आजाद हुआ था तब यह कहा गया था कि आदिवासी समुदाय को पांचवी और छठी अनुसूची में शामिल किया जायेगा । मेरा प्रदेश आदिवासी बाहुल्य प्रदेश होने के बावजूद प्रदेश के 80 प्रतिशत आदिवासी समुदाय को आजादी के बाद पांचवी और छठी अनुसूची में अभी तक शामिल नहीं किया गया है । पूर्व में मेरे पति श्री मोहन डेलकर जी ने इस विषय को कई बार सदन में उठाया था । मै संबधित मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूँगी कि मेरे प्रदेश के आदिवासी समुदाय के लोगों को पांचवी-छठी अनुसूची मे शामिल कर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए जिससे उनको सभी मूलभूत सुविधाएं मिल सकेगी । यदि रास्ता, पानी, लाइट, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रिजर्वेशन जैसी हर सुविधा मिलेगी तो ही आदिवासी समाज आगे बढ़ सकेगा ।